

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

मासिक/दैनिक भाड़े पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में वाहन आपूर्ति हेतु निविदा

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पदाधिकारियों के उपयोग के लिए मासिक भाड़े पर वाहन एवं समय-समय पर On Call Basis दैनिक भाड़े एवं मासिक किराया पर वाहन, जिनका निबंधन वाणिज्यक वाहन के रूप में हो, की आपूर्ति हेतु निबंधित संस्थानों/फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 04.06.2025 के 05.00 बजे अपराह्न तक निबंधित/स्पीड पोस्ट/हाथों हाथ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 05.06.2025 के 03.00 बजे अपराह्न बजे विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में देना होगा। निविदा की शर्तें कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के वेबसाइट state.bihar.gov.in/yac पर या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है। जमानत की राशि ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) मात्र को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उप सचिव -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से देय हो, तकनीकी निविदा के साथ जमा करना होगा।

Smita
20/05/25
(रिम्ता कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।
रिम्ता

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पदाधिकारियों के उपयोग के लिए मासिक भाड़े पर वाहन एवं समय-समय पर On Call Basis दैनिक भाड़े एवं मासिक किराया पर वाहन, जिनका निबंधन वाणिज्यिक वाहन के रूप में हो, की आपूर्ति हेतु निबंधित संस्थानों/फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 04.06.2025 के 05.00 बजे अपराह्न तक निबंधित/स्पीड पोस्ट/हाथों हाथ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 05.06.2025 के 03.00 बजे अपराह्न बजे विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

A) निविदा हेतु आर्हता :-

1. सेवा प्रदाता/एजेंसी/एक पंजीकृत फर्म, साझेदारी फर्म या स्वामित्व वाली संस्था होनी चाहिए जो उचित प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत हो तथा वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
2. एजेंसी में पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष कम से कम पांच वाहनों की आपूर्ति सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को की होगी।
3. पिछले तीन वर्ष में एक करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए एवं पिछले तीन वर्षों 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का इन्कम टैक्स रिटर्न देना होगा।
4. अनुबंध करने की कानूनी क्षमता होना चाहिए।
5. एजेंसी दिवालियापन, बंद या कानूनी कार्रवाई के अधीन न हो।
6. बिहार सरकार या भारत सरकार द्वारा आपकी व्यवसायिक गतिविधियों को निलंबित या बाधित नहीं किया गया हो।

B) तकनीकी निविदा की शर्तें:-

1. निविदादाता को अग्रधन के रूप में ₹ 25,000/- का बैंक ड्राफ्ट, जो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्गत उप सचिव -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पक्ष में देय हो, की मूल प्रति संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट की स्कैन की गयी कॉपी मान्य नहीं होगी। EMD की राशि निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। केन्द्रीय क्रय संगठन/राज्यक्रय संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन (एन0एस0वाई0सी) अथवा संबंधित विभागों में पंजीकृत फर्म को उक्त बोली प्रतिभूति जमा करने में छूट ले सकते हैं, बशर्ते तत्संबंधी अभिलेखों की प्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता/फर्म को GST में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा एवं अद्यतन GST Return की कॉपी (माह मार्च, 2025 तक) संलग्न करना होगा।
3. PAN कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में एवं किसी आपराधिक मामलों में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ-पत्र देना होगा (Notarized Affidavit)।

प्रति

5. निविदादाता द्वारा निविदा में दर्शाए गये सभी शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित स्वघोषणा-पत्र हस्ताक्षरित संलग्न करना होगा।
6. समरूप मामलों में कार्य करने से संबंधित न्यूनतम एक वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न अद्यतन वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक संलग्न करना होगा।

C) वित्तीय निविदा की शर्त :-

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा को खोलने पर विचार किया जायेगा।
2. निविदा में भाग लेनेवाले निविदादाता को प्रारूप (क) में वाहन का मासिक दर ईंधन एवं चालक सहित सभी कर सहित देना होगा। प्रारूप (क) का प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। दर अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
3. इसमें निविदादाता का नाम, निविदादाता का पता एवं निविदादाता का मोबाईल नं० के साथ-साथ फर्म का मुहरांकन स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
4. विहित प्रपत्र में उक्त सूचनाओं के साथ स्पष्ट दर अंकित नहीं होने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

D) अन्य शर्त :-

1. निविदादाता तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजात एक लिफाफा में रखकर उसे सील बंद करते हुए लिफाफा के ऊपर "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में वाहन आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा" लिखेंगे एवं निविदा प्रारूप 'क' में दर वर्णित कर इसे एक दूसरे लिफाफा में रखकर सील बंद करते हुए लिफाफा के ऊपर "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा लिखेंगे, तत्पश्चात् तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का अलग-अलग लिफाफा के दाहिने साईड पता उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, विकास भवन, तृतीय तल, बिहार, पटना-800015 एवं बायें साईड में फर्म का नाम अंकित करेंगे।
2. निविदादाता सीलबंद निविदा इस तरह भेजेंगे कि प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय तक डाक प्राप्ति शाखा में निविदा प्राप्त हो जाय। अंतिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदादाता कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में अंतिम तिथि एवं समय तक हाथों-हाथ भी निविदा जमा कर सकते हैं।
4. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पास निविदा रद्द करने, नियम एवं शर्तों को बदलने एवं इस निविदा से संबंधित हर तरह के निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।
5. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।
6. निविदादाता निविदा डालने के संबंध में किसी बिन्दु पर उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना से कार्यालय अवधि में व्यक्तिगत रूप से आकर Pre Bid Meeting में भाग ले सकते हैं।
7. वित्तीय निविदा में चयन के पश्चात् निविदादाता को उपलब्ध कराये जानेवाले वाहन दिसम्बर, 2022 से पुराना वाहन नहीं होना चाहिए तथा अच्छी हालत में होनी चाहिए।

8. उक्त सभी वाहन में आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होने चाहिए एवं सीट पर तौलिया लगा होना चाहिए।
9. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, लाईट, हॉर्न, मोड़ सूचक लाईट, एयर कंडीशनर एवं वाहन के अन्य उपकरणीय सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय-समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए, जिससे विभाग को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
10. वाहन को विभाग/पदाधिकारी/कर्मि द्वारा बताये गये नियत स्थान पर खड़ा होना चाहिए। यदि वाहन को पेट्रोल भरवाने, रिपेयरिंग इत्यादि के लिए बाहर ले जाने की जरूरत हो तो सेवा प्राप्तकर्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन सेवा प्राप्तकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिए वाहन आपूर्तिकर्ता पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।
11. वाहन में मोबाईल चार्जर तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महसूस होनेवाला यंत्र लगा होना चाहिए।
12. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन का RC, Insurance, PUC, चालक के Driving Licence एवं चारित्रिक प्रमाण-पत्र की छायाप्रति विभाग में जमा करना होगा।
13. लॉग बुक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये फॉरमेट में Maintain करना पड़ेगा।

प्रतिनियुक्त चालक/कर्मि का दायित्व :-

वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जानेवाले चालक एवं कर्मि द्वारा संपादित कार्यों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे :-

1. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में धूत होकर कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे।
2. चालक एवं कर्मि अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं दूसरे कर्मि से भी उनका व्यवहार विनम्रतापूर्वक होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्त चालक/कर्मि पर संविदा की शर्तों के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। ऐसी गलती बार-बार दोहराने पर एवं निम्नांकित व्यवहार के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा।
 - i. कार्यावधि के दौरान चालक/कर्मि का कर्तव्य से इंकार करना यदि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी या विभाग द्वारा सूचित किया जाता है।
 - ii. असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना।
3. चालक के पास एक मोबाईल, वैध नम्बर के साथ होना चाहिए, जिससे विभाग/पदाधिकारी कभी भी संपर्क कर सके।
4. किसी भी कारणवश चालक का मोबाईल नम्बर परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा विभाग को तुरन्त दी जानी होगी।
5. चालक अपनी कार्यावधि के दौरान हमेशा विभाग/संबंधित पदाधिकारी के संपर्क में बने रहेंगे।
6. प्रतिनियुक्त चालक के पास वाहन चलाने का वैध लाईसेंस होना जरूरी है।
7. चालक साफ-सुथरी वर्दी पहनेंगे, यदि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा नियत रंग की वर्दी पहनने का आदेश दिया जाय तो उसका अनुपालन करेंगे।
8. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में धूत होकर कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे। यदि ऐसा होता है तो विभाग को पूर्ण अधिकार होगा कि वे तुरन्त संविदा को रद्द कर दें।



9. विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त चालक/कर्मियों के व्यवहार एवं उनकी वर्दी के संबंध में कोई आरोप सूचित किया जाता है तो वाहन आपूर्तिकर्ता इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे एवं इस पर समुचित कार्रवाई करेंगे।
10. अतिथियों के साथ अनावश्यक बातचीत एवं कार चालन के समय मोबाईल का उपयोग स्वीकार नहीं होगा आकस्मिक स्थिति में चालक आदेश लेकर वाहन किनारे खड़ा कर मोबाईल का उपयोग कम से कम समय के लिए कर सकते हैं।
11. विभाग द्वारा जैसे ही चालक को किसी अतिथि के समक्ष उपस्थित होने अथवा उन्हें Attend करने का निदेश दिया जाता है तो चालक अतिथि को अपने मोबाईल नम्बर एवं वाहन नम्बर की सूचना फोन कर या SMS कर तुरन्त देंगे। मोबाईल एवं SMS पर होनेवाला खर्च वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
12. चालक एवं वाहन को तुरन्त-तुरन्त बदली नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे किसी भी बदलाव की सूचना पूर्व में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जानी चाहिए।

नियमों का अनुपालन एवं कर :-

1. किराया चार्ज में सभी ईंधन खर्च, अनुरक्षण कल-पूजों सहित एवं चालक तथा कर्मियों का वेतन, बीमा का प्रीमियम, रोड टैक्स सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर वाहन पर लगने वाला कर का भुगतान विभाग द्वारा वास्तविक भुगतान रसीद के आधार पर किया जायेगा।
2. वाहन आपूर्तिकर्ता प्रतिनियुक्त वाहन का व्यापक बीमा Third Party असीमित रिस्क के साथ लेगा। विभाग किसी भी दुर्घटना, आम जनता एवं Third Party को होनेवाले नुकसान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता Third Party द्वारा किया गया दावा/वाहन दुर्घटना में वाहन पर सवार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पदाधिकारी/कर्मियों को होनेवाले नुकसान के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग चालक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना/अन्य किसी भी नियमों का पालन नहीं करना, चालक तथा वाहन आपूर्तिकर्ता मोटर वाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्णरूपेण अनुपालन करेंगे तथा वर्तमान एवं भविष्य में आनेवाले सभी नियम एवं अधिनियमों का पालन करेंगे। किसी भी त्रुटि के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
5. वाहन आपूर्तिकर्ता श्रम कानून विशेष कर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, Contract Labour (R&A) Act Workman Compensation Act etc. का अनुपालन यथासमय सुनिश्चित करेंगे। वाहन आपूर्ति के कर्मियों/चालक कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के कर्मियों नहीं माने जायेंगे। अतः उपर्युक्त नियमों का पालन करना वाहन आपूर्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी।
6. चालक के द्वारा किसी भी तरह की दुर्व्यवहार इत्यादि के लिए आपूर्तिकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
7. संविदा अवधि के दौरान यदि वाहन को आरक्षी/मोटर वाहन अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है या रोक रखा जाता है तो इसकी जिम्मेवारी वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था प्रतिनियुक्त वाहन के अनुरूप या इससे उच्च श्रेणी का वाहन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध कराया जायेगा।

25/11

8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा वाहन को कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थिति में वाहन पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के कर्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को ले जाना प्रतिबंधित होगा। वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, चालक की अनदेखी, तेज गति एवं अनियमित चालन, खराब/ब्रेक फेल जैसी कृत नहीं करने के विरुद्ध सुनिश्चित की जायेगी।
9. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गये वाहन को किसी भी स्थिति में विभाग के निर्देश के बिना किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं करेंगे। जितने दिन के लिए ऐसा करते पाये जायेंगे उससे दोगुने दिन के लिए Pro Rata Basis पर मासिक भाड़ा में से दण्ड स्वरूप राशि की कटौती की जायेगी।
10. प्रतिदिन विभाग द्वारा निर्देशित स्थान पर वाहन के पहुंचने पर परिचालन हेतु कि०मी० की गणना आरंभ कर विभाग द्वारा कार्य समाप्त होने के उपरान्त वाहन को रात्रि ठहराव हेतु जाने का निदेश प्राप्त होने तक ही परिचालित कि०मी० की गणना की जायेगी। किसी भी स्थिति में शाम को कार्य स्थल रात्रि ठहराव स्थल पर वाहन को ले जाने एवं सुबह रात्रि ठहराव स्थल से कार्यस्थल तक पहुंचने में परिचालित यात्रा का भुगतान कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा और ना ही उसे लॉग बुक में अंकित किया जायेगा।
11. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक को राज्य मोटर वाहन अधिनियम (अद्यतन संशोधित) के आलोक में वर्दी एवं फोटो पहचान पत्र अपने खर्च पर उपलब्ध कराया जायेगा।
12. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की माँग पर वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन Tracking System उपलब्ध करायेंगे एवं यात्रा का रिकॉर्ड/डाटा आगमन से प्रस्थान तक माईलेज के साथ उपलब्ध करायेंगे। माईलेज की गिनती यात्रा आरंभ स्थान से की जायेगी न कि कोई अतिरिक्त स्थान से।
13. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल जो नियमों के आलोक में हो समर्पित किया जायेगा एवं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग वाहन आपूर्तिकर्ता को बिल की राशि में, यदि दण्ड स्वरूप कोई कटौती किया जाना आवश्यक हो, उसकी कटौती करते हुए भुगतान करेगा।
14. Toll Tax, Octroi, Parking Charges And Other Statutory Levies जो यात्रा के दौरान प्रभावी हो, का भुगतान कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा प्रस्तुत बिल/कैशमेमो/मान्य साक्ष्य के आधार पर किया जायेगा।

अतिरिक्त कि०मी० का भुगतान :-

1. यात्रा की दूरी की गिनती यात्रा आरंभ के स्थान से की जायेगी। यात्रा के लिए गैरेज से या गाड़ी के रात्रि में जहाँ रखा जाता है, वहां से यात्रा आरंभ की दूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. प्रतिदिन नियत समय पर पदाधिकारी/कर्मियों जब वाहन को कार्यालय कार्य के लिए व्यवहार करना शुरू करेंगे उस समय का कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करेंगे एवं शाम को कार्यालय कार्य समाप्त होने के उपरान्त पुनः कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करके संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।
3. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा प्रतिमाह भुगतान किये जानेवाले राशि में वाहन आपूर्तिकर्ता को 1500 कि०मी० तक के परिचालन के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। 1500 कि०मी० से अधिक परिचालन होने पर अतिरिक्त कि०मी० का प्रति कि०मी० की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

25/11

4. वाहन आपूर्तिकर्ता साप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन परिचालित करने हेतु चालक का वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता को दिये जानेवाले मासिक भुगतान की राशि से की जायेगी।
5. मासिक भुगतान की राशि में से नियमानुसार GST-TDS, Income Tax-TDS एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित करों की विहित दरों से कटौती की जायेगी।
6. वाहन आपूर्तिकर्ता एवं संस्थान के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेंगे, जिनसे कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा संपर्क किया जायेगा।
7. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के स्थापना शाखा में एक उपस्थिति पंजी रखी जायेगी, जिसपर चालक द्वारा प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज किया जायेगा एवं प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को वाहन अद्यतन लॉग बुक कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रतिनिधि के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा उपस्थिति पंजी में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज नहीं करने अथवा लॉग बुक जाँच हेतु प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में प्रतिदिन 100/- ₹0 की दर से मासिक भाड़े में से कटौती की जायेगी।
8. दैनिक भुगतान के आधार पर यदि वाहन लिया जाता है तो संविदा में तय किये गये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जायेगा एवं यात्रा के दौरान चालक के लिए खाने एवं रहने के प्रबंध पर होनेवाले सभी व्यय वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।
9. जब भी जितनी संख्या में वाहन की माँग की जायेगी फॉर्म/संस्था को उतनी ही संख्या में निर्धारित समय के अंदर माँग के अनुरूप गाड़ी उपलब्ध करना होगा।

भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र

वित्तीय निविदा प्रारूप 'क' वाहन का मासिक दर (ईंधन एवं चालक सहित)				
क्र.	वाहन का विवरण	1000 कि०मी० प्रति माह (without GST)	1500 कि०मी० प्रति माह (without GST)	1500 कि०मी० के बाद प्रति कि०मी० दर (without GST)
1.	इनोवा क्रिस्टा, टाटा सफारी, महिन्द्रा XUV-700, टाटा हेक्सा, —(ए०सी०) समकक्ष वाहन।	@Rs.	@Rs.	@Rs.
2.	स्कॉर्पियो, मारुति सुजुकी XL6, इरटिगा, महिन्द्रा XUV 300, 500—(ए०सी०) समकक्ष वाहन।	@Rs.	@Rs.	@Rs.
3.	बोलेरो, ब्रेजा, स्वीफ्ट डिजायर, बलेनो —(ए०सी०) समकक्ष वाहन।	@Rs.	@Rs.	@Rs.

वित्तीय निविदा प्रारूप 'ख' दैनिक भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन का दर Minimum Chargeable KM Per Day = 200KM		
क्र.	वाहन का विवरण	Basic Rate Per KM (without GST)
(क)	इनोवा क्रिस्टा, टाटा सफारी, महिन्द्रा XUV-700, टाटा हेक्सा, —(ए०सी०) समकक्ष वाहन।	@Rs.
(ख)	स्कॉर्पियो, मारुति सुजुकी XL6, इरटिगा, महिन्द्रा XUV 300, 500—(ए०सी०) समकक्ष वाहन।	@Rs.
(ग)	बोलेरो, ब्रेजा, स्वीफ्ट डिजायर, बलेनो —(ए०सी०) समकक्ष वाहन।	@Rs.

निविदादाता का हस्ताक्षर—.....

निविदादाता का नाम—

मुहर—

मोबाईल नं०—